भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *306

(17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

उत्तरपूर्वी क्षेत्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी

***306. श्री राजू बिष्ट:**

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई- III) से उत्तरपूर्वी क्षेत्र, विशेषत: पश्चिम बंगाल में ग्रामीण कनेक्टिविटी किस प्रकार बढ़ने की उम्मीद है तथा उक्त योजना के तहत अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) दार्जिलिंग , कलिम्पोंग और उत्तर दिनाजपुर के लिए स्वीकृत सड़कों (किलोमीटर में) की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या , शिक्षा और बाजारों जैसी आवश्यक सेवाओं तक सुलभता में सुधार पर इस ढांचागत विकास का अनुमानत: क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) पीएमजीएसवाई- III परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी में सुधार से उत्तरपूर्वी क्षेत्र में आर्थिक विकास, व्यापार और रोजगार के अवसरों को विशेषत: किस-किस प्रकार से बढ़ावा मिलने तथा सरकार के समृद्ध उत्तरपूर्वी और विकसित भारत के विज़न के साकार होने में सहायता मिलने की उम्मीद है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोकसभा में दिनांक 17.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *306 के भाग (क) से (घ) के उत्तरों में उल्लिखित विवरण

(क) भारत सरकार ने जुलाई, 2019 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना -III (पीएमजीएसवाई-III) को अनुमोदन दिया है, जिसका उद्देश्य "थ्रु रुट्स" और "प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्गों" को उन्नत करते हुए 1,25,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत करना है, ताकि बसावटों को ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम्स), उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों सहित अन्य सुविधाओं से जोड़ा जा सके। पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल में 12 दिसंबर, 2024 तक की स्थिति के अनुसार पीएमजीएसवाई -III के अंतर्गत स्वीकृत और पूरी की गई सड़क की लंबाई का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) 12 दिसंबर, 2024 तक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तर दिनाजपुर जिलों में पीएमजीएसवाई -III के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों की लंबाई का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन रणनीति के एक भाग के रूप में, वर्ष 2000 में पीएमजीएसवाई की शुरूआत एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में की थी, जिसका उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 500+ और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और हिमालयी संघ राज्य क्षेत्रों और कुछ विशेष क्षेत्रों में 250+जनसंख्या आकार के सड़क संपर्क रहित पात्र बसावटों को एकल बारहमासी सड़क के माध्यम से ग्रामीण सड़क से जोड़ना था। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक पीएमजीएसवाई के विभिन्न पहलों के अंतर्गत 3,95,660 करोड़ रुपये की लागत वाली 8,34,657 किलोमीटर की कुल सड़क लंबाई को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 7,69,773 किलोमीटर की लंबाई जिसमें 1,81,194 सड़कें और 9,212 पुल शामिल हैं, का निर्माण अब तक किया जा चुका है और 99.6% लक्षित बसावटों को सड़क से जोड़ा जा चुका है।

नीति आयोग, विश्व बैंक आदि द्वारा पीएमजीएसवाई पर किए गए विभिन्न स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययनों ने निष्कर्ष निकाला है कि इस योजना ने शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुंच को बेहतर बनाया है, कृषि और गैर-कृषि दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया है, किसानों को बेहतर कृषि मूल्य दिलाने में मदद की है, आदि जिसके

परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से सामाजिक -आर्थिक परिवर्तन हुआ है। इससे ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में दीर्घकालिक और निरंतर सुधार हुआ है।

बेहतर ग्रामीण सड़क नेटवर्क , विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में पीएमजीएसवाई ।।। के अंतर्गत, स्वास्थ्य सुविधाओं तक तीव्र पहुंच को सक्षम करेगा, स्कूल पहुंच में सुधार करेगा, तथा स्कूल छोड़ने की दर को कम करेगा , साथ ही, यह बाजारों तक माल के परिवहन को आसान बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करेगा। इसके अलावा , बेहतर सड़क संपर्कता से आर्थिक विकास, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क प्रदान करने से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा , निर्माण और रखरखाव कार्यों के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित होंगे, तथा विशेष रूप से दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जैसे दर्शनीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ये विकास एक समृद्ध पूर्वोत्तर और एक विकसित भारत बनाने के सरकार के दृष्टिकोण से मेल खाते हैं , जो "विकसित भारत" के व्यापक लक्ष्य की दिशा में योगदान देता है।

*****

अनुबंध-I

लोकसभा में दिनांक 17.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *306 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत 12 दिसंबर, 2024 तक पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में स्वीकृत और पूर्ण की गई सड़कों की लंबाई का विवरण

क्र सं	राज्य का नाम	स्वीकृत			पूर्ण की गई		
		सड़कों की संख्या	लंबाई (किमी में)	पुलों की संख्या	सड़कों की संख्या	लंबाई (किमी में)	पुलों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	170	1,366	66	8	125	3
2	असम	654	4,247	69	472	3,386	13
3	मणिपुर	56	502	0	0	0	0
4	मेघालय	143	1,225	55	8	94	0
5	मिजोरम	17	488	0	0	0	0
6	नागालैंड	45	563	0	0	0	0
7	सिक्किम	45	286	20	0	15	0
8	त्रिपुरा	100	781	6	2	52	0
9	**पश्चिम बंगाल**	**562**	**4,237**	**6**	**54**	**620**	**0**
कुल		**1,792**	**13,695**	**222**	**544**	**4,292**	**16**

अनुबंध -II

लोकसभा में दिनांक 17.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *306 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत 12 दिसंबर, 2024 तक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तर दिनाजपुर जिलों में स्वीकृत सड़कों की लंबाई का विवरण

क्र सं.	जिले का नाम	स्वीकृत	
		सड़कों की संख्या	लंबाई (किमी में)
1	दार्जिलिंग	14	109
2	कलिम्पोंग	9	66
3	उत्तर दिनाजपुर	22	159
कुल		**45**	**334**

*****